

दिल्ली  राजपत्र  
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52]

दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 9, 2014/चैत्र 19, 1936

[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 7

No. 52]

DELHI, WEDNESDAY, APRIL 9, 2014/CHAITRA 19, 1936

[N.C.T.D. No. 7

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 9 अप्रैल, 2014

सं.फा. 23(7)/डीई/आरटीई/2011/919-931.—निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 38 तथा धारा 34 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा निम्नलिखित संरचना अनुसार राज्य सलाहकार परिषद् गठित करते हैं :-

अध्यक्ष

प्रधान सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

पदेन सदस्य

1. निदेशक (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
2. निदेशक, राजकीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्
3. अध्यक्ष, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग

4. विशेष परियोजना निदेशक (सर्व शिक्षा अभियान)

5. अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (स्कूल), शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

शिक्षा अधिकार अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी तरीके से लागू करने के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना राज्य सलाहकार परिषद् का प्रकार्य होगा।

यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नई निर्वाचित राज्य सरकार के कार्यभार ग्रहण करने तक प्रभावी रहेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से, और उनके नाम पर,

डॉ. मधु रानी तेवतिया, अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

### DIRECTORATE OF EDUCATION

#### NOTIFICATION

Delhi, the 9th April, 2014

**No. F.23(7)/DE/RTE/2011/919-931.**—In exercise of powers conferred by Section 38 and sub-section (1) of Section 34 of The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, the Lieutenant Governor National Capital Territory of Delhi hereby constitutes the State Advisory Council as per following composition:—

#### Chairperson

Principal Secretary (Education), Government of NCT of Delhi

#### Ex-officio Members

1. Director (Education), Government of NCT of Delhi
2. Director, State Council of Educational Research and Training
3. Chairperson, Delhi Commission for Protection of Child Rights
4. Special Project Director (Sarv Shiksha Abhiyan)
5. Additional Director of Education (Schools), Directorate of Education, Government of NCT of Delhi.

The function of the State Advisory Council shall be to advise the State Government on implementation of the provisions of the RTE Act in an effective manner.

This order will remain in force till the new elected State Government takes office in NCT of Delhi.

By Order and in the Name of  
Lt. Governor of NCT of Delhi,

Dr. MADHU RANI TEOTIA, Addl. Secy. (Education)